1990-91 के दौरान पिरखमरोड, बेडछा, बकानिया, भौनरी, फोंड, सिटोर, बरूत, जबड़ी, कालापीपल, मोहम्मद खेडा, अकोदिया, बोलाई, कालीसिंध, रावटी, बजरंगगढ़ और उज्जैन स्टेशनों को विभिन्न अन्य योजनाओं में शामिल किया गया है।

(ख) 1991-92 के दौरान शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित कार्य इस प्रकार हैं :--

1.	अनूपपुर--	स्टेशन की पुरानी इमारत का बदलाव
2.	चंपा--	स्टेशन की इमारत में परिवर्धन और परिवर्तन
3.	रायगढ़--	स्टेशन की इमारत के ढांचे में परिवर्तन
4.	सतना--	स्टेशन की इमारत के ढांचे में परिवर्तन
5.	गंजबासोदा--	स्टेशन की इमारत का सौंदर्यवर्धन
6.	इटारसी--	स्टेशन की इमारत में सुधार
7.	घोड़ाडोंगरी	प्लेटफार्म का विस्तार
8.	खंडवा--	प्लेटफार्म का विस्तार

1991-92 में रेलों के निर्माण कार्यों में शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों की यह एक अनंतिम सूची है, बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध हो।

इन्दौर रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त रेल डिब्बे जोड़े जाने का प्रस्ताव

177. **श्री अजीत जोगी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर से चलने वाली सभी रेल गाड़ियां अपनी पूर्ण क्षमता से चल रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन्दौर और बिलासपुर के बीच चलने वाली 8233/8234 नर्मदा एक्सप्रेस रेलगाड़ी में भोपाल के स्थान पर इन्दौर स्टेशन पर अतिरिक्त रेल डिब्बे जोड़ने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) फिलहाल नहीं।

बिना टिकट यात्रियों की संख्या

178. **श्री अजीत जोगी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिना टिकट सफर करने वाले यात्रियों के विरुद्ध जोन-वार कितने-कितने मामले दर्ज किए गए ; और

(ख) रेलों में बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) सूचना नीचे दी गयी है--

(लाखों में)

रेलवे	बिना टिकट या अनुचित टिकट पर यात्रा करते हुए पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या		
	1987-88	1988-89	1989-90
मध्य	9.61	11.65	13.74
पूर्व	12.19	12.53	14.46
उत्तर	9.35	10.50	12.03
पूर्वोत्तर	4.72	5.26	5.94
पूर्वोत्तर सीमा	1.79	1.81	1.98
दक्षिण	4.09	3.78	3.64
दक्षिण मध्य	4.49	4.77	5.34
दक्षिण पूर्व	10.57	11.14	12.20
पश्चिम	10.25	10.94	12.29
जोड़	67.06	72.38	81.62

(ख) बिना टिकट यात्रा पर अंकुश लगाने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस/रेलवे सुरक्षा बल के सहयोग से मजिस्ट्रेट द्वारा जांच सहित अचानक जांच की जाती हैं। रेलवे स्टेशनों पर इश्तहार/नोटिस लगा करके, रेलवे समय सारणियों में सूचना प्रकाशित करके, समाचार पत्रों में विज्ञापन दे करके, सिनेमा हालों में और दूरदर्शन पर लघु फिल्में दिखा करके और महत्पूर्ण स्टेशनों पर जन उद्घोषणा प्रणाली पर बार-बार घोषणाएं करके बिना टिकट यात्रा के खतरों और परिणामों से अवगत कराया जाता है।

इसके अलावा, 1-7-1990 से लागू नये रेल अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यवस्था की गई हैं:--

(i) यूनतम अधिक प्रभार को 10 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया है।

(ii) यदि यात्री पकड़े जाने से पहले रेलवे कंडक्टर को सूचित कर देता है तो वसूल किया जाने वाला न्यूनतर अधिक प्रभार का प्रावधान हटा दिया गया।

रेलवे के बिलासपुर मंडल में रिक्त पड़े पद

179. **श्री अजीत जोगी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 नवम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार बिलासपुर मंडल में कितने पद रिक्त पड़े थे ;

(ख) इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना हैं ;

(ग) क्या सरकार उक्त मंडल के लिए कोई भर्ती अभियान चलाएगी ; और

(घ) क्या इन पदों के लिए की जाने वाली भर्तियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन पदों पर केवल स्थानीय लोग ही भर्ती किए जाएं, सरकार क्या कदम उठा रही है ?